



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|----------|--|
| सं. 617] | नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2019/आश्विन 24, 1941 |
| No. 617] | NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019/ASVINA 24, 1941 |

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 791(अ).—केंद्र सरकार सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सिक्का निर्माण (श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम सिक्का निर्माण (श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्का निर्माण (श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करना) नियम, 2019 में (इसके पश्चात यथा संदर्भित उक्त नियमों) में, नियम 1, 2 एवं 5 में, शब्द “श्री के प्रकाशोत्सव” जहां भी आए, के लिए “श्री के प्रकाश पर्व” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, प्रथम अनुसूची में, “श्री के प्रकाशोत्सव” शब्द के लिए “श्री के प्रकाश पर्व” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 02/09/2018-सिक्का]

कुमार विनय प्रताप, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सा.का.नि. 407 (अ) दिनांक 3 जून, 2019 के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 3 जून, 2019 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2019

G.S.R. 791(E).—In the exercise of the power conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of the 550th Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji) Rules, 2019, namely:-

1.(1) These Rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of the 550th Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of the 550th Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji) Rules, 2019 (hereafter referred as the said rules), in rules 1, 2 and 5, for the words “**Prakash Utsav of Shri**” wherever they occur, the words “**Parkash Purab of Sri**” shall be substituted.

3. In the said rules, in the First Schedule, for the words “**PRAKASH UTSAV OF SHRI**”, the words “**PARKASH PURAB OF SRI**” shall be substituted.

[F. No. 02/09/2018-Coin]

KUMAR VINAY PRATAP, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 407 (E), dated the 3rd June 2019.